



केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मु.)
Kendriya Vidyalaya Sangathan (HQ)

18 संस्थागत क्षेत्र/18 Institutional Area,
शहीदजीत सिंह मार्ग/Shahed Jeet Singh Marg
नईदिल्ली/New Delhi – 110016
दूरभाष/Telephone: 011-26858570
वेबसाइट/Website: www.kvsangathan.nic.in

फा.क्र.11-E-3048(1)/ 2020-Estt-III/1521-46.


दिनांक: 16.09.2021

कार्यालय आदेश

केन्द्रीय विद्यालय तेहरान में कार्यरत निम्नलिखित शिक्षक को एतद्वारा भारत को प्रत्यावर्तित किया जाता है और उनके नाम के आगे उल्लिखित केन्द्रीय विद्यालय निम्नलिखित टेबल के (कालम क.5) में उन्हें तैनाती प्रदान की जाती है। साथ ही उन्हें सूचित किया जाता है कि उनके विकल्प के रूप में तैनात किए गए शिक्षक के केन्द्रीय विद्यालय तेहरान में कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत बाद वे अपने विद्यालय से कार्यमुक्त हो जाए । उन्हें यह आदेशित दिया जाता है कि के.वि. तेहरान से प्रत्यावर्तन उपरांत संबंधित केन्द्रीय विद्यालय (कालम क.5) में कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित हो ।

S.NO.	NAME	DESIGNATION	KV where working	POSTED TO KV AFTER REPATRIATION
1.	DR. BAIJU SINGH	PGT (ENGLISH)	KV TEHRAN	KV ECR SAMASTIPUR (PATNA REGION)
2.	MRS. GLORY GNANASELVI	PGT(COMMERCE)	KV TEHRAN	KV NO.2 JALAHALLI (AFS) (BENGALURU REGION)
3.	MR. KAVULLURU BHASKAR	PGT (PHYSICS)	KV TEHRAN	KV GACHIBOWLI (HYDERABAD REGION)
4.	MRS. K V SEETHALAKSHMI	PGT (CHEMISTRY)	KV TEHRAN	KV DRDO BENGALURU (BENGALURU REGION)
5.	SH. BRAJESH KUMAR	PGT (BIOLOGY)	KV TEHRAN	KV NO.2 MADURAI (CHENNAI REGION)

यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


(धर्मन्द्र पटेल)

सहायक आयुक्त (स्थापना-2/3)

वितरण :

1. संबंधित शिक्षक।
2. अध्यक्ष, वि.प्र.स., के.वि. भारतीय दूतावास, तेहरान को सूचनार्थ।
3. प्राचार्य, के.वि. भारतीय दूतावास, तेहरान को इस निवेदन के साथ कि वह संबंधित शिक्षक को उनके विकल्प के रूप में तैनात किए गए शिक्षक (संलग्नक के अनुसार) के कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कार्यमुक्त करें।
4. प्राचार्य, संबंधित विद्यालय को इस निवेदन के साथ कि वह पदस्थ शिक्षक के कार्यभार ग्रहण के उपरांत कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट इस कार्यलय को प्रेषित करें।
5. उपायुक्त, के.वि.सं. संबंधित संभाग को सूचनार्थ।
6. दिव्य अधिकारी, के.वि.सं. संबंधित संभाग को सूचनार्थ।
7. अनुभाग अधिकारी (पी.एफ.), के.वि.सं. मु. को सूचनार्थ।
8. गार्ड फाइल।

9. उपायुक्त, के.वि.सं. इंडीपी सेल नई दिल्ली. इस निवेदन के साथ इस अधिकारी को, के.वि.सं. की वेबसाइट पर अपलोड करें;